प्रेस नोट **15/01/2025**

टेलीग्राम के माध्यम से पैसा दुगुना कराने का लालच देकर वादी से कुल 81920/- रूपये फ्रॉड धनराशि मे से होल्ड धनराशि 74820/- रूपये वादी के खाते में वापस कराया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम मऊ पर पंजीकृत अभियोग 28/2024 धारा 420 भादवि व 66सी, 66डी आईटी एक्ट में प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र यादव थाना साइबर क्राइम मऊ व विवेचक निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपराध शाखा मऊ व टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर अपराधियों द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से पैसा दुगुना कराने का लालच देकर वादी से कुल 81920/- रूपये फ्रॉड धनराशि मे से होल्ड धनराशि 74820/- रूपये दिनांक 14.01.2025 को वादी राजेश यादव थाना रामपुर जनपद मऊ निवासी के खाते में वापस कराया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र यादव थाना साइबर क्राइम, जनपद मऊ, निरीक्षक श्री राकेश सिंह अपराध शाखा जनपद मऊ (विवेचक), हे0का0 शैलन्द्र कुमार कन्नोजिया, का० प्रभात कुश्वाहा, का0 अनूप यादव, का0 अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र, का0 शशिकान्त मणि त्रिपाठी व का0 प्रदीप कुमार पटेल थाना साइबर क्राइम मऊ।

कॉशन- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

03 शातिर गिरफ्तार, कब्जे से शराब बनाने के उपकरण व 15 लीटर कच्ची शराब बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.01.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर खैरा देवारा के पास से 03 अभियुक्तगण श्रवण साहनी पुत्र स्व0 सुखारी साहनी निवासी खैरा देवारा थाना मधुबन, राम गुलाम चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी खैरा देवारा थाना मधुबन, राममिलन साहनी पुत्र लालमोहर साहनी निवासी देवसीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने वाले उपकरण एक अदद एल्यूमीनियम तसला, पाईप लगा स्टील का खप्पर(चुअनी), 01 अदद लोहे का ड्रम,01 अदद स्टील का लोटा,01 अदद स्टील का ग्लास,02 अदद प्लास्टिक का डब्बा, 05 किग्रा यूरिया, 01 किग्रा नौसादर, 02 पैकेट नमक, आधा किग्रा फिटकरी, बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/25 धारा 274,275 बीएनएस व धारा 60(1)/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. श्रवण साहनी पुत्र स्व0 सुखारी साहनी निवासी खैरा देवारा थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. राम गुलाम चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी खैरा देवारा थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. राममिलन साहनी पुत्र लालमोहर साहनी निवासी देवसीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ

बरामदगी–

1. 15 लीटर कच्ची शराब।
2. शराब बनाने के उपकरण।